<u>स्पीड पोस्ट</u>

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(A Constitutional Body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. PSD/1/2018/STGMP/SEHRMT/RU-III

दिनांक: 02–01–2019

<u>सिटिंग नोटिस</u>

विषय: अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने के फलस्वरूप मध्य प्रदेश शासन द्वारा कथित रूप से प्रताड़ित किए जाने बाबत – श्री प्रताप सिंह धुर्वे, डिप्टी कलेक्टर मण्डला, निवास – एफ–1, एस डी एम, जनपद कॉलोनी भुआ बिछिया जिला मण्डला (मध्य प्रदेश) का दिनांक 08.05..2018 का अभ्यावेदन।

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संवैधानिक अधिदेश और भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरणों में अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. सुश्री अनुसुईया उइके, माननीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच/की जाने वाली कार्रवाई के लिए नई दिल्ली स्थित आयोग में दिनांक <u>18–02–2019 को 12.30 बजे</u> सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय उपाध्यक्ष, के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखे कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

2/1/2019

(डॉ. ललित लट्टा)
निदेशक

O/C

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
राजस्व विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्य प्रदेश)

38-39
3/1/19

जारी किया
ISSUED

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

श्री प्रताप सिंह धुर्वे,
निवास – एफ–1, एस डी एम,
जनपद कॉलोनी भुआ बिछिया,
जिला मण्डला (मध्य प्रदेश)